

घोषणा-पत्र

(80/- रुपये के नॉन व्यक्तिगत स्टाम्प पर नोटरी द्वारा साक्षात्कृत)

मैं पुत्र/पुत्री श्री रोल नं.
..... मैरिट नं. है, कनिष्ठ विधि अधिकारी की सीधी भर्ती परीक्षा-2023 में
कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर अनन्तिम रूप से चयनित हुआ/हुई हूँ।

मैं शपथपूर्वक निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ कि :-

1. मैं राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के अन्तर्गत कनिष्ठ विधि अधिकारी हेतु अपेक्षित तथा उक्त हेतु जारी विज्ञापन में वर्णित शर्तानुसार शैक्षणिक योग्यता रखता/रखती हूँ।
2. मेरे द्वारा योग्यता/अर्हता संबंधी दी गई जानकारी विज्ञापन में अंकित शैक्षणिक योग्यता/अर्हता के अनुरूप है।
3. मेरे विरुद्ध कभी किसी भी थानाक्षेत्र में कोई आपराधिक प्रकरण न तो दर्ज हुआ है न ही मेरे विरुद्ध किसी प्रकार की कोई आपराधिक जांच लंबित है। मेरे विरुद्ध कोई फौजदारी/न्यायिक प्रकरण किसी भी न्यायालय में न तो दायर हुआ है और न ही लंबित है।
4. मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी दस्तावेज किसी भी प्रकार से जाली/नकली पाया जाता है और तथा/अथवा मेरे द्वारा उक्त घोषणा पूर्ण अथवा आंशिक असत्य पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में मुझे पूर्ण रूप से ज्ञात है कि मेरी अभ्यर्थिता/पात्रता/चयन तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर उसी समय मुझे राजकीय सेवा से पृथक कर दिया जायेगा, जिसके लिए मैं स्वयं पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी। ऐसी स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी को यह पूर्ण अधिकार होगा कि मेरे विरुद्ध वैधानिक/पुलिस/न्यायिक/अनुशासनात्मक इत्यादि की कार्यवाही कर सकते हैं, जिसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे यह भी ज्ञात है कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार अन्य परीक्षाओं में शामिल होने से वंचित (Debar) किया जा सकता है, उसके लिए मैं ही स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर

नाम

पता

मोबाईल नं.

ई मेल

घोषणा-पत्र

कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)(कार्मिक)क-2/95 दिनांक 20.06.2001 के अनुसरण में निम्नलिखित प्रपत्र में कार्यभार ग्रहण करते समय घोषणा जो कि राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित है, प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ।

मैं पुत्र/पुत्री श्री
रोल नं. मैरिट नं. है, कनिष्ठ विधि अधिकारी की सीधी भर्ती परीक्षा-2023 में कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर अनन्तिम रूप से चयनित हुआ/हुई हूँ।

1. दिनांक 31.05.2002 तक मेरे बच्चों की संख्या थी।

क्र.सं.	नाम	पुत्र/पुत्री	जन्म तिथि
1			
2			
3			
4			

2. दिनांक 01 जून 2002 को एवं इसके पश्चात् मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है।

अथवा

3. दिनांक 01 जून 2002 को अथवा इसके पश्चात् मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है एवं वर्तमान में मेरे बच्चों (पुत्र/पुत्री) की कुल संख्या है।

क्र.सं.	नाम	पुत्र/पुत्री	जन्म तिथि
1			
2			
3			
4			

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम :-

पदनाम :- कनिष्ठ विधि अधिकारी

राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

**अविवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला
घोषणा-पत्र**

मैं पुत्र/पुत्री श्री रोल नं.
मैरिट नं. पता है, कनिष्ठ विधि
अधिकारी की सीधी भर्ती परीक्षा-2023 में कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर अनन्तिम रूप से चयनित
हुआ/हुई हूँ।

मैं शपथपूर्वक निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ कि :-

मेरा विवाह अभी तक नहीं हुआ है और भविष्य में जब भी होगा तब मैं या मेरे घरवाले ना तो
दहेज लेंगे / ना ही दहेज देंगे। भविष्य में दहेज लिए जाने के संबंध में मेरी पत्नी/मेरे पति एवं
ससुराल पक्ष की ओर से कोई शिकायत विभाग/न्यायालय में दर्ज करवाई जाती है तो मेरी नियुक्ति
समाप्त किये जाने का नियुक्तकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा जिसके लिए मैं, प्रार्थी/प्रार्थिया जिम्मेदार
रहूंगा/रहूंगी। मेरी नियुक्ति होने के पश्चात् अपने विवाह की स्थिति में विवाह के एक मास के
भीतर-भीतर अपने नियंत्रक प्राधिकारी को, अपने पिता, पत्नी और श्वसुर द्वारा हस्ताक्षरित इस प्रभाव की
घोषणा करूंगा/करूंगी कि मैंने प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः और किसी भी रूप में दहेज नहीं लिया है

(नाम :-)
घोषणाकर्ता

दिनांक

स्थान

साक्षी

1. हस्ताक्षर

नाम

पता

2. हस्ताक्षर

नाम

पता

(50/- रुपये के नॉन ज्यूरिस्टिकल स्टाम्प पर नोटेशी द्वारा सत्यापित)

**विवाहित अन्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला
घोषणा-पत्र**

मैं पुत्र/पुत्री श्री रोल नं.
मैरिट नं. पता है, कनिष्ठ विधि
अधिकारी की सीधी भर्ती परीक्षा-2023 में कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर अनन्तिम रूप से चयनित
हुआ/हुई हूँ।

मैं शपथपूर्वक निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ कि :-

मेरा विवाह दिनांक को हुआ है। विवाह के समय मेरे घरवालों ने ना तो दहेज
लिया है / ना ही दहेज दिया है। भविष्य में दहेज लिए जाने के संबंध में मेरी पत्नी/मेरे पति एवं
ससुराल पक्ष की ओर से कोई शिकायत विभाग/न्यायालय में दर्ज करवाई जाती है तो मेरी नियुक्ति
समाप्त किये जाने का नियुक्तकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा जिसके लिए मैं, प्रार्थी/प्रार्थिया जिम्मेदार
रहूंगा/रहूंगी।

(नाम :-))

घोषणाकर्ता

दिनांक

स्थान

अन्यर्थी के पिता :

1. हस्ताक्षर
- नाम
- पता

अन्यर्थी के स्वसुर :

1. हस्ताक्षर
- नाम
- पता

अन्यर्थी की पत्नी/पति :

2. हस्ताक्षर
- नाम
- पता

स्वतंत्र साक्षी:

2. हस्ताक्षर
- नाम
- पता

वचनबंध-प्रपत्र

मैं पुत्र/पुत्री श्री रोल नं.
मैरिट नं. पता है. कनिष्ठ विधि
अधिकारी की सीधी भर्ती परीक्षा-2023 में कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर अनन्तिम रूप से चयनित
हुआ/हुई हूँ। मैं वचनबद्ध हूँ कि मैं धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करता हूँ / करती हूँ।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

(50/- रुपये के नॉन ज्यूरिसिडल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

परित्यक्ता अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा-पत्र

मैं पुत्र/पुत्री श्री रोल नं.
पैरिट नं. पता है, कनिष्ठ विधि
अधिकारी की सीधी भर्ती परीक्षा-2023 में कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर अनन्तिम रूप से चयनित
हुआ/हुई हूँ।

मैं शपथपूर्वक निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ कि :-

पूर्व में मेरा विवाह-विच्छेद हो चुका है और भविष्य में जब भी होगा तब मैं या मेरे घरवाले ना
तो दहेज लेंगे / ना ही दहेज देंगे। भविष्य में दहेज लिए जाने के संबंध में मेरी पत्नी/मेरे पति एवं
ससुराल पक्ष की ओर से कोई शिकायत विभाग/न्यायालय में दर्ज करवाई जाती है तो मेरी नियुक्ति
समाप्त किये जाने का नियुक्तकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा जिसके लिए मैं, प्रार्थी/प्रार्थिया जिम्मेदार
रहूंगा/रहूंगी। मेरी नियुक्ति होने के पश्चात् अपने विवाह की स्थिति में विवाह के एक मास के
भीतर-भीतर अपने नियंत्रक प्राधिकारी को, अपने पिता, पत्नी और श्वसुर द्वारा हस्ताक्षरित इस प्रभाव की
घोषणा करूंगा/करूंगी कि मैंने प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः और किसी भी रूप में दहेज नहीं लिया है

(नाम :-)

घोषणाकर्ता

दिनांक

स्थान

साक्षी

1. हस्ताक्षर

नाम

पता

2. हस्ताक्षर

नाम

पता

**विधुर/विधवा अन्वर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला
घोषणा-पत्र**

मैं पुत्र/पुत्री श्री रोल नं.
मैरिट नं. पता है, कनिष्ठ विधि
अधिकारी की सीधी भर्ती परीक्षा-2023 में कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर अनन्तिम रूप से चयनित
हुआ/हुई हूँ।

मैं शपथपूर्वक निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ कि :-

पूर्व में मेरे पति/मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है और भविष्य में जब भी होगा तब मैं या मेरे
घरवाले ना तो दहेज लेंगे / ना ही दहेज देंगे। भविष्य में दहेज लिए जाने के संबंध में मेरी पत्नी/मेरे
पति एवं ससुराल पक्ष की ओर से कोई शिकायत विभाग/न्यायालय में दर्ज करवाई जाती है तो मेरी
नियुक्ति समाप्त किये जाने का नियुक्तकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा जिसके लिए मैं, प्रार्थी/प्रार्थिया
जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी। मेरी नियुक्ति होने के पश्चात् अपने विवाह की स्थिति में विवाह के एक मास के
भीतर-भीतर अपने नियंत्रक प्राधिकारी को, अपने पिता, पत्नी और श्वसुर द्वारा हस्ताक्षरित इस प्रभाव की
घोषणा करूंगा/करूंगी कि मैंने प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः और किसी भी रूप में दहेज नहीं लिया है

(नाम :-)

घोषणाकर्ता

दिनांक

स्थान

साक्षी

1. हस्ताक्षर

नाम

पता

2. हस्ताक्षर

नाम

पता